

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव (छ.ग.)

॥ लोक स्वास्थ्य विभाग ॥

Tel. no. 07744-222562, E- Mail- nagarnigam32@gmail.com

क्रमांक 276 / स्वा.वि. / निविदा / 2016-17

राजनांदगांव, दिनांक 15 / 6 / 2016

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव हेतु कचरे के निष्पादन हेतु EOI द्वितीय आमंत्रण सूचना :-

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में प्रतिदिवस उत्पन्न होने वाले कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण हेतु इच्छुक व्यक्ति/कंपनी से दिनांक 13/6/16..... सायं काल 4:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से, आयुक्त नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के पते पर प्रस्ताव आमंत्रित है। इस संबंध में प्री-बिड बैठक दिनांक स्थान को प्रातः 11:00 बजे आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के कक्ष में आयोजित है।

शर्तें निम्नानुसार होंगी :-

1. EOI तीन लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती है -

(अ) लिफाफा 'अ' में 25,000/- की अमानत राशि एफ.डी.आर. के रूप में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव के नाम से देना होगा।

(ब) लिफाफा 'ब' में कार्ययोजना एवं निम्नानुसार दस्तावेज संलग्न करना होगा

(I) पेन कार्ड की सत्यापित प्रति।

(II) तीन वर्षों के आयकर विवरण की सत्यापित प्रति।

(III) विगत पाँच वर्षों में किसी भी संस्था द्वारा 'ब्लैक लिस्ट' न किये जाने बाबत शपथ पत्र।

(स) लिफाफा 'स' में एकमुश्त दर देना होगा, जो सभी प्रकार के टैक्स सहित होगा कि उपरोक्त कार्य हेतु कितनी मासिक राशि प्रस्तावकर्ता द्वारा नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को दी जायेगी।


2. लिफाफा 'अ' 'ब' एवं 'स' पृथक - पृथक सीलबंद कर 'लिफाफा' 'द' में सीलबंद कर भेजना होगा। लिफाफा 'द' के ऊपर स्पष्ट अक्षरों में नगर निगम, राजनांदगांव हेतु कचरे के निष्पादन हेतु EOI व प्रेषक का पूर्ण पता व मोबाइल नंबर व ई - मेल पता लिखा होना चाहिए।

3. कचरे के निष्पादन कार्य हेतु आवश्यक भूमि (लगभग 10.50 एकड़) वार्ड क्रमांक 01 ग्राम बजरंगपुर नवागाँव में नगर पालिक निगम द्वारा लीज पर उपलब्ध करायी जायेगी एवं शासन द्वारा निर्धारित लीज राशि प्रस्तावकर्ता द्वारा नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को भुगतान किया जावेगा।

4. उक्त भूमि पर फेसिंग आदि का कार्य नगर निगम द्वारा किया जायेगा जबकि निष्पादन कार्य हेतु आवश्यक शेड/कमरों एवं अन्य अधोसंरचना का कार्य प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय से किया जायेगा।
5. उपलब्ध कराई गई भूमि तक नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव द्वारा स्वयं के व्यय से प्रतिदिवस कचरा परिवहन किया जायेगा।
6. प्रतिदिन के कचरे को प्लास्टिक बायो डिग्रेडेबल, जमीन भराव (सामग्री) आदि विभिन्न उपयोगी सामग्री में संबंधित कंपनी द्वारा स्वयं के व्यय से सेग्रीग्रेट किया जायेगा तथा सेग्रीग्रेट करने के लिए आवश्यक बिजली, पानी विभिन्न उपकरण तथा खाद बनाने के लिए पिट, टैंक आदि की व्यवस्था/निर्माण प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वयं किया जावेगा।
7. बाँयो डिग्रेडेबल सामग्री को जैविक खाद में परिवर्तित एवं प्लास्टिक को पुनः चकित प्रस्तावकर्ता द्वारा स्वयं के व्यय से किया जावेगा।
8. अन्य भराव सामग्री का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जावेगा।
9. सेग्रीगेशन एवं उपचार पश्चात् प्राप्त समस्त सामग्री प्रस्तावकर्ता की होगी एवं इसे अपनी सुविधानुसार विक्रय किये जाने का संपूर्ण अधिकार प्रस्तावकर्ता का होगा।
10. प्रस्तावकर्ता एवं आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव के मध्य 10 वर्ष हेतु अनुबंध किया जायेगा जो कि दोनों पक्ष की सहमति उपरांत 02 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकेगा।
11. अनुबंध समाप्ति उपरांत प्लांट मशीनरी आदि प्रस्तावकर्ता की सम्पत्ति होगी जिसे वह वापस ले जा सकेगा जबकि निर्मित शेड/कमरा एवं अन्य अधोसंरचना पर नगर निगम, राजनांदगाँव का अधिकार होगा।
12. वर्तमान में नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव में प्रति दिवस उत्पन्न होने वाले कचरे की मात्रा लगभग 60 टन है, नगर निगम राजनांदगाँव का यह दायित्व होगा की अनिवार्य रूप से प्रतिदिवस न्यूनतम 30 टन कचरा उक्त भूमि पर उपलब्ध कराया जाये। यदि नगर निगम द्वारा 30 टन प्रति दिवस से अधिक मात्रा में कचरा उपलब्ध कराया जाता है तो इस संपूर्ण कचरे का निष्पादन प्रस्तावकर्ता पर बंधनकारी होगा एवं EOI में स्वीकृत राशि इससे अप्रभावित होगी।
13. प्रतिदिवस कचरे की मात्रा बढ़ाकर 80 टन किये जाने तक प्रस्तावकर्ता को केवल 05 एकड़ भूमि ही लीज पर उपलब्ध कराई जायेगी एवं इसके उपरांत 20 टन प्रति दिवस कचरे की मात्रा के आधार पर 01 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई जायेगी अर्थात् आदि प्रस्तावकर्ता द्वारा प्रति दिवस 140 टन कचरे का निष्पादन किया जाता है तो उन्हें नगर निगम, राजनांदगाँव द्वारा 08 एकड़ भूमि लीज पर उपलब्ध कराई जायेगी।
14. सशर्त EOI स्वीकार नहीं किया जायेगा।



15. अन्य आवश्यक जानकारी कार्यालयीन समय में स्वास्थ्य अधिकारी नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव से दुरभाष क. 07744-222562 अथवा मोबाईल नम्बर 94241-16018 से प्राप्त की जा सकती है।



आयुक्त,

नगर पालिक निगम राजनांदगाँव